HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2823/2009

1. B. Rukmani W/o. Late Shriniwasrao, Aged 38 Years, Resident of Laxmi Kishan Royal Height Flat No. 101 No. 60-11-310/2/2/1 Musarambagh, Hyderabad (Andrapradesh)
2. Kumari Apurva Sai Laxmi D/o. Sriniwas Rao, Aged 14 Years
3. Kumari Aishwarya D/o. Sriniwas Rao, Aged 9 Years, Minor Through Natural Guardian Mother B Rukmani. Both Resident of Laxmi Kishan Royal Height Flat No. 101 No. 60-11-310/2/2/1 Musarambagh, Hyderabad (Andrapradesh)

----Claimants-Appellants

Versus

1. Iksh (Ikrah) S/o. Noor Mohd., Resident of Village Bibipur, Distt. Jind (Haryana)
2. Rajesh Talwar S/o. Prannath Talwar, Resident of House No. 223, Bharat Nagar Delhi-52.
3. The Oriental Insurance Company Ltd., Registered Office, Oriental House Plot No. 7037 A-25/27 Asaf Ali Road, New Delhi.

----Respondents-Non-Claimants

For Appellant(s)	:	Mr. Ram Singh Rathore, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. O.P. Gupta, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

<u>Judgment</u>

DATE OF CONCLUSION OF ARGUMENTS	::	**04/05/2026**
DATE OF RESERVED	::	**04/05/2026**
FULL/OPERATIVE PART PRONOUNCED	::	**FULL**
DATE OF PRONOUNCEMENT	::	**22/05/2026**

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक क्रम 2) {मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण} टोंक** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–129/2008**

(115/2006) बी. रूकमणी व अन्य बनाम इक्श (इकराह) व अन्य में पारित **निर्णय दिनांक 08.08.2008** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में **श्री निवास** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 78,30,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को **कुल 3,77,000/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 7.5 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय 3,000/– रुपये मासिक निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि वक्त घटना मृतक एयर फोर्स से सेवानिवृत्त कर्मचारी था, जिसे प्रतिमाह 2,463/– रुपये मासिक पेंशन मिलती थी तथा मृतक सेवानिवृत्ति पश्चात् तथा मृत्यु पूर्व शांथरी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में कार्य कर प्रतिमाह 7,500/– रुपये अतिरिक्त आय भी अर्जित करता था, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में कोई भविष्य वृद्धि नहीं की गई है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में व अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गई है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गई। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया गया :–

- **Vimla Devi & Ors. Vs. National Insurance Company Limited & Ors.** reported in **2019 2 SCC 186.**

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्तागण प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि

2026:RJ-JP:21098

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–13 लगायत प्रदर्श–15 मात्र फोटो प्रतियां हैं, असल दस्तावेज नहीं है, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनका यह भी तर्क रहा है कि मृतक को जिस शांथरी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में कार्य करना बताया गया है, उसके किसी कर्मचारी को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है तथा उक्त कम्पनी द्वारा जारी वेतन प्रमाण पत्र जारी के संबंध में भी किसी व्यक्ति को पेश नहीं करवाया गया है, इस कारण मृतक को शांथरी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त होने वाली आय माने जाने योग्य नहीं है। अतः विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित किये जाने तथा अपीलार्थीगण द्वारा संस्थित अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता बीमा कम्पनी द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया गया :–

- **Vishavjit Singh & Ors. Vs. Cholamandalam MS General Insurance Company Limited & Anr. (@ Special Leave Petition (Civil) No. 13442/2020)** decided on 21.05.2025.

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 02.05.2005 की बताई गई है तथा वक्त घटना मृतक एयर फोर्स से सेवानिवृत्त कर्मचारी था, जिसे 2,463/– रुपये मासिक पेंशन मिलती थी तथा इसके अतिरिक्त मृतक सेवानिवृत्त होने के पश्चात् शांथरी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड में क्वालिटी इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर 7,500/– रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त आय अर्जित करना बताया गया है। इस प्रकार वक्त घटना मृतक को कुल 9,963/– रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना बताया गया है। मृतक को मिलने वाली पेंशन के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा मृतक के एयर फोर्स विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों की प्रतियां प्रदर्श–13 लगायत प्रदर्श–15 विद्वान अधिकरण के समक्ष पत्रावली पर पेश की गई। उक्त दस्तावेजों के संबंध में विद्वान अधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त दस्तावेजात फोटो प्रतियां है, प्रमाणित प्रति नहीं है, न ही उक्त दस्तावेज मूल प्रति हैं। उक्त दस्तावेजों की फोटो प्रतियों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य में गृहित किये जाने हेतु साक्ष्य अधिनियम के तहत आवेदकगण द्वारा

2026:RJ-JP:21098

अधिकरण से अनुमति भी नहीं ली गई है। ऐसी स्थिति में उक्त फोटो प्रतियां साक्ष्य में गृहित किये जाने योग्य नहीं है। इस पर विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को मृत्यु के समय मिलने वाली पेंशन राशि को दृष्टिगत रखते हुए तथा भविष्य में पेंशन की बढ़ोतरी होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की वक्त घटना आय 3,000/- रुपये मासिक निर्धारित की गई है, जो उचित प्रतीत होती है। अतः मृतक की यही मासिक पेंशन हम निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् व मृत्यु पूर्व किये जाने वाले कार्य के फलस्वरूप मृतक की कोई आय निर्धारित नहीं कर त्रुटि कारित की गई है।

7. घटना दिनांक 02.05.2005 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् शांथरी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड में क्वालिटी इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर 7,500/- रुपये मासिक वेतन प्राप्त करना बताया गया है, जिसके संबंध में शांथरी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जारी मृतक की माह अप्रैल, 2005 की वेतन स्लिप की फोटो प्रति पत्रावली पर पेश की गई है, किन्तु उक्त वेतन स्लिप को अपीलार्थीगण की ओर से प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। न ही शांथरी में नौकरी करने का कोई प्रमाण पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि वक्त घटना मृतक शांथरी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड में कार्य कर प्रतिमाह 7,500/- रुपये वेतन प्राप्त कर रहा हो। किन्तु यह नहीं माना जा सकता है कि मृतक सेवानिवृत्त होने के पश्चात् कोई कार्य कर आय अर्जित नहीं करता हो। घटना वर्ष 2005 की बताई गई है। श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2005 में न्यूनतम मजदूरी की कोई दर राजस्थान राज्य में निर्धारित नहीं की गई है। वर्ष 2004 के पश्चात् वर्ष 2008 में न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की गई है। वर्ष 2004 में कुशल श्रमिक की दैनिक आय 81/- रुपये तथा वर्ष 2008 में कुशल श्रमिक की दैनिक आय 115/- रुपये रही है। ऐसी स्थिति में हम, मृतक के सेवानिवृत्त होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सेवानिवृत्त होने के पश्चात् अर्जित की जाने वाली आय के संबंध में मृतक के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना मृतक को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर उसकी दैनिक आय 90/- रुपये, तद्नुसार मासिक आय 90 x 30 = 2,700/- रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं।

2026:RJ-JP:21098

8. क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 40 वर्ष आयु का होना बताया गया है तथा मृतक का जन्म माह जून, 1967 में होना बताया गया है, जिसके अनुसार वक्त घटना मृतक की आयु 38 वर्ष होना प्रमाणित है। चूंकि वक्त घटना मृतक 38 वर्ष आयु का वेतनभोगी व्यक्ति था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक पेंशन 3,000/– रुपये में 50 प्रतिशत अर्थात् 1,500/– रुपये की बढ़ोतरी करते हुए मृतक की कुल मासिक पेंशन 4,500/– रुपये निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार मृतक को मिलने वाली मासिक पेंशन के साथ–साथ मृतक के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् व मृत्यु पूर्व किये जाने कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना मृतक को 38 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी होना मानते हुए सेवानिवृत्त पश्चात् निर्धारित मासिक आय 2,700/– रुपये पर 40 प्रतिशत अर्थात् 1,080/– रुपये की बढ़ोतरी करते हुए मृतक की सेवानिवृत्ति पश्चात् कुल मासिक आय 3,780/– रुपये निर्धारित की जाती है। ऐसी स्थिति में हम, मृतक के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् मृतक को मिलने वाली मासिक पेंशन तथा मृतक के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् व मृत्यु पूर्व किये जाने कार्य की प्रकृति के आधार पर मृतक की कुल मासिक आय 4,500 + 3,780 = 8,280/– रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

9. वक्त घटना मृतक पर 03 आश्रित बताए गए हैं, जिनमें अपीलार्थी संख्या–1 मृतक की पत्नी तथा अपीलार्थी संख्या–2 व 3 मृतक की पुत्रियां हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती की गई है, जो सही है। तद्नुसार 8,280/– रुपये का 1/3 भाग 2,760/– रुपये होता है, जिसे मृतक की निर्धारित आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 5,520/– रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 38 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के

2026:RJ-JP:21098

आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 15 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित आय 5,520/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति 5,520 x 12 x 15 = 9,93,600/– रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी को 5,000/– रुपये, इस प्रकार कुल 15,000/– रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

11. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2005 की बताई गई है। ऐसी स्थिति में हम, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या–1 को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये तथा मृतक की पुत्रियों अपीलार्थी संख्या–2 व 3 को ''पैरेण्टल कंसोर्टियम'' की मद में प्रत्येक को 40,000/– रुपये (कुल 1,20,000/– रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 2,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो कम है। अतः उपरोक्त मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा सम्पदा की हानि के मद में पृथक से कोई राशि अपीलार्थीगण को नहीं दिलवाई गयी है। अतः उपरोक्त मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (राशि रूपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	9,93,600/–
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 1,20,000/–
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/–
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/–
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		**11,43,600/–**
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–)		3,77,000/–
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		**7,66,600/–**

15. तदनुसार अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **3,77,000/– रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **11,43,600/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

16. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

17. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

18. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

19. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /5